न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री चुन्नीलाल, जाति- माली, निवासी- कृष्णापुरी, सिरोही, तह. सिरोही, जिला- सिरोही
2. श्री चुन्नीलाल पुत्र भगवान जी, जाति- माली, निवासी- कृष्णापुरी, तह. सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 07/2017

''अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही), प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 13 नवम्बर, 2017

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 108/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.3.2017 बाबत ग्राम सिरोही-प्रथम के खसरा संख्या 1026 रकबा 0.09 हेक्टेयर किस्म बा-1 भूमि का अपीलार्थीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को ग्राम सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 1221 रकबा .0.2000 हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित करने में कानूनन एवं वाक्याती भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जारी नोटिस प्राप्त होने के बाद अपीलार्थीगण ने अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया था कि अपीलार्थीगण का ग्राम सिरोही प्रथम की उक्त भूमि पर कदीम से कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलार्थीगण ने राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश व दिशा निर्देश दिनांक 21.9.2012, 17.10.2012 व 06.1.2016 तथा परिपत्र दिनांक 02.11.2007 व 24.1.2013 के अनुसार स्थानीय निकाय नगर परिषद्,

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

सिरोही में विवादित भूमि का नियमन कर पट्टा बनवाने हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नगर परिषद्, सिरोही द्वारा बाद जांच नगर विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेशों, दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार अपीलार्थीगण का कब्जा नियमन योग्य होना पाये जाने से नगर परिषद्, सिरोही ने अपीलार्थीगण से नियमानुसार लीज राशि वसूल कर विवादित भूमि का अपीलार्थीगण के पक्ष में नियमन करते हुए पट्टा दिनांक 28.11.2014 को अलग अलग पट्टे जारी किये है एवं दिनांक 28.11.2014 को उक्त पट्टों का पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में करवाया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण अपने पट्टेशुदा भूमि पर विधिक रुप से काबिज है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों व दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में नगर परिषद्, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टे नही मानने के संबंध में कोई कारण दर्शित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध नही किये है, केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया है कि उक्त भूमि का हस्तान्तरण नगर परिषद् को नही हुआ है। जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं आदेशों के अनुसार नगर परिषद्/नगर पालिका सीमा में स्थित राजकीय बिलानाम भूमि को संबंधित नगर परिषद्/नगर पालिका को हस्तान्तरित करने के आदेश दिये गये थे। इस प्रकार, नगर परिषद् सीमा में स्थित राजकीय बिलानाम भूमि नगर परिषद् की भूमि है। प्रकरण में नगर परिषद्, सिरोही द्वारा विवादित भूमि का अपीलार्थीगण के हक में नियमानुसार नियमन कर पट्टा जारी किया गया है, जिसके संबंध में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में नगर परिषद् को पक्षकार नही बनाया है जबकि विवादित भूमि नगर परिषद् सीमा में स्थित होने से नगर परिषद् की भूमि है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर.आर.डी. मई, 2006 पेज 278-280 एवं माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर की एकलपीठ द्वारा निगरानी/एल.आर./1897/2016/सिरोही अमृतलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही में पारित निर्णय दिनांक 05.4.2016 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि नगर परिषद्, सिरोही द्वारा विवादित भूमि का राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना में नियमानुसार नियमन कर अपीलार्थीगण के पक्ष में पट्टे जारी किये गये है जो आवासीय भूमि है एवं अपीलार्थी अपने पट्टेशुदा आवासीय भूमि पर काबिज है, इस कारण से अपीलार्थीगण के कब्जे को अनाधिकृत कब्जा नही माना जा सकता है एवं न ही अपीलार्थीगण को विवादित भूमि का अतिक्रमी माना जा सकता है। अत: अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2072 में ग्राम सिरोही-प्रथम के खसरा संख्या 1026 रकबा 0.09 हेक्टेयर किस्म बा-1 पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय में नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में बाद जांच गुणावगुण पर परीक्षण किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं बिलानाम भूमि पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2072 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 1026 रकबा 0.09 हेक्टेयर किस्म बा-I भूमि पर कब्जा मय बाड कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.5.2016 को लिखित जवाब एवं जवाब के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.3(50)नविवि/03/2012 दिनांक 21.9.2012 व आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 06.1.2016 की फोटो प्रतियां, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 17.10.2012, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(30)नविवि/3/07 दिनांक 02.11.2007 एवं नगर परिषद्, सिरोही द्वारा अपीलार्थी श्रीमति शांति देवी पत्नि श्री चुन्नीलाल, जाति- माली, निवासी- सिरोही एवं श्री चुन्नीलाल पुत्र भगवान जी, जाति- माली, निवासी- सिरोही के पक्ष में अलग अलग जारी पट्टा विलेख दिनांक 28.11.2014 (जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में दिनांक 22.12.2014 को पंजीकृत हुआ है) की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों एवं जवाब के संलग्न प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों व नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के उक्त आदेशों व परिपत्र पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जबकि हल्का पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ विवादित भूमि के जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत नही की गई है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित भूमि के जमाबन्दी की प्रति उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 15.3.2017 बाबत बेदखली के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण करने एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसगंत प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 15.3.2017 बाबत बेदखली आदेश को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

15/11/17

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

सिरोही (राज.)